न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 35/12

1. बलविन्द्र कौर पत्नी जगतारसिंह जाति मजहबी निवासी 18 पीटीडीए तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. बिकर सिंह पुत्र श्री जगतारसिंह जाति मजहबी निवासी 18 पीटीडीए तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

—वादीगण

बनाम

1. जगतारसिंह पुत्र पूर्ण सिंह जाति मजहबी निवासी 18 पीटीडी ए तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. मानसिंह पुत्र पूर्ण सिंह जाति मजहबी निवासी 18 पीटीडी ए तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. कुलदीप सिंह पुत्र पूर्ण सिंह जाति मजहबी निवासी 18 पीटीडी ए तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
4. मुखत्यारसिंह पुत्र पूर्ण सिंह जाति मजहबी निवासी 18 पीटीडी ए तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
5. सुखविन्द्र सिंह पुत्र पूर्ण सिंह जाति मजहबी निवासी 18 पीटीडी ए तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
6. सुखविन्द्र कौर पुत्री पूर्ण सिंह जाति मजहबी निवासी 18 पीटीडी ए तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर।

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88—92ए—53 राज.काश्त.अधिनियम

उपस्थितिः—

1. श्री एस.एस.सवना वकील वादीगण
2. श्री अवतारसिंह वकील प्रतिवादीगण
3. श्री गुरप्रतापसिंह वकील प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः— 27.11.19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88—92ए—53 राज.काश्त.अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी सं. 1 के ससूर व वादी सं. 2 के दादा पूर्ण सिंह के नाम से चक 18 पीटीडी ए के खाता सं. 18 मु.नं. 27, 28 में 9.791 है0 भूमि खातेदारी है। पूर्णसिंह द्वारा उपरोक्त सम्पति के अलावा 10 बीघा भूमि को अपने जीवनकाल में अपनी पुत्री प्रतिवादी सं. 6 को वसीयत में देकर उसका हक व हिस्सा पूरा कर दिया था। जिसका इन्तकाल भी प्रतिवादी सं 6 ने अपने पिता पूर्ण सिंह के देहान्त बाद वसीयत के आधार पर अपने नाम रिकार्ड में दर्ज करवा लिया है। उपरोक्त भूमि जद्दी जायदाद है। जिसमें वादी सं. 2 का जन्म से ही हक एवं हिस्सा बनता है। प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा हम प्रतिवादीगण का परित्याग किया हुआ है। उक्त भूमि में हम वादीगण के 10 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। यही भूमि हम वादीगण का जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा हम वादीगण को खर्चा गुजारा भत्ता की राशि भी अदा नही की गई है। इसलिए हम वादीगण उपरोक्त 10 बीघा भूमि पर अपना हक व हिस्सा घोषित करवा पाने के विधिक तौर से अधिकारी है। इस भूमि के अलावा हमारे पास कोई भूमि नही है। इसी अनुसार घोषणा की डिक्री सादिर फरमाई जावे। वह हक घोषण अनुसार अलग अलग किलेजात की भूमि हम वादीगण को दी जावे। पृथक खाता विभाजित फरमाई जावे। चक 18 पीटीडी ए के मु.नं. 18 कि.नं. 16 ता 25

(राजेन्द्र सिंह)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

प्रत्येक सालम–सालम वादीगण के कब्जा काश्त के किलो को जोड़ा जावे। उपरोक्त विवादित भूमि 9.791 है0 नहरी खातेदारी में से किसी भी भाग की भूमि को वाद के लम्बन तक किसी अन्य को हस्तान्तरण/रहन वा बैय आदि करने से बाज व ममनू रहे। वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि 2.530 है0 भूमि में किसी प्रकार की मदाखलत बेजा नही करे तथा ना ही कोई कृत्य करे जिससे हम वादीगण उक्त भूमि से वंचित होते हो।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 3 की ओर श्री अवतार सिंह उपस्थित आये। प्रतिवादी सं. 1, 4, 6 की ओर से श्री गुरप्रताप सिंह उपस्थित आए। काउन्टर क्लेम जवाब पेश किया। प्रतिवादी सं 2 के विरूद्व दिनांक 23.10.12 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। वादीगण द्वारा दिनांक 19.08.19 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी सं. 2 ता 6 के विरूद्व वादीगण वर्तमान रिकार्ड के अनुसार कोई अनुतोष नही प्राप्त करना चाहते है। इसलिए प्रतिवादीगण सं. 2 ता 6 को अनावश्यक पक्षकार मानते हुए उनका नाम विलोपित किया जाने के आदेश फरमायें जावे। प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गई:–

1. आयाकि चक 18 पी.टी.डी. (ए) तह. रायसिंहनगर का खाता सं. 18 का मु.नं. 27 व 28 की कुल 9.791 है. नहरी भूमि वादीया सं. 1 के ससुर व 2 के दादा स्व. पूर्ण के नाम है पूर्णसिंह के 6 वारिस है उपरोक्त भूमि जदी जायदाद होने से वादीगण का हिस्सा बनता है।

   – वादीगण

2. आया कि वादीगण के ससुर/दादा पूर्ण सिंह द्वारा अपने जीवन काल में अपनी लड़की प्रतिवादीया सं. 6 को उसका हिस्सा 2.530 है. अर्थात् 10 बीघा जरीये वसीयत देकर हिस्सा पूरा कर दिया है इसलिए सुखविन्द्रकौर का कोई हिस्सा शेष नहीं है।

   – वादीगण

3. आया कि वादीगण का 2.530 है. अर्थात् 10 बीघा भूमि 1/5 हिस्सानुसार बनता है जिस पर वादीगण काबिज है इसलिए अपने हिस्से पर वादीगण खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवा पाने के विधिक अधिकारी है।

   – वादीगण

4. आयाकि प्रतिवादीगण सं. 1 जगतारसिंह का वादीगण के साथ कोई रिश्ता नहीं है इसलिए वाद वादीगण काबिल खारिज के है प्रति.सं. 1 जगतारसिंह अपने हिस्सेनुसार काबिज है तदनुसार खातेदारी की घोषणा करवा पाने का अधिकारी है।

   – प्रतिवादी सं. 1

5. आया कि प्रतिवादीया सं. 6 सुखविन्द्रकौर अपने विरास्तन हिस्सेनुसार काबिज है तथा अपने हिस्सेनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवा पाने की अधिकारी है।

   – प्रतिवादीया 6

6. आया वाद वादीगण पक्षकारों के असंयोजन/कुसंयोजन होने से काबिल खारिज के है।

   – प्रतिवादी 1

7. अनुतोष ?

वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा दिनांक 19.08.19 को राजीनामा प्रस्तुत किया गया। जो दिनांक 03.09.19 को तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने राजीनामा अनुसार वाद डिक्री

उप खण्ड अधिकारी (राजस्थान)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

किये जाने हेतु निवेदन किया एवं वकील प्रतिवादी राजीनामा अनुसार वाद डिक्री करने हेतु अपनी सहमति प्रकट की।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत होने पर तनकीवार निर्णय नही किया गया। पक्षकारो के मध्य हुए राजीनामा प्रस्तुत दिनांक 19.08.19 व तस्दीक दिनांक 03.09.2019 अनुसार वाद वादी डिक्री किया जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि वादी सं. 1 के ससूर व प्रतिवादी सं. 2 के दादा के नाम से दर्ज है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजीनामा अनुसार विवादित रकबा चक 18 पीटीडी ए 282/353 मु.नं. 28 के कि.नं. 16 ता 25/2 की कुल 2.353 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 को अपने पिता स्व0 पूर्ण सिंह से वसीयतन प्राप्त होने से इस भूमि के 1/2 भाग अनुसार किला नं. 21/2 की .202 है0, 22/2 की .228, 23/2 की .228, 24/2 की .227, 25/2 की .228 है0, 16 ता 18 प्रत्येक 0.013 है0 दक्षिणी पासा, 19 ता 20 प्रत्येक 0.012 है0 दक्षिणी पासा कुल 1.176 है0 भूमि वादीगण प्रथम पक्षकार बलविन्द्र कौर व वीकर सिंह को राजीनामा अनुसार विभाजन स्वीकार कर खातेदार घोषित किया जाता है। इसी आशय की डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 27-11-19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2019.12.11 12:11:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: